



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर

हमीरपुर (हि.प्र.) - 177 005 (भारत)

[भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान]

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR

HAMIRPUR (H.P.) - 177 005 (INDIA)

[An Institute of National Importance under Ministry of Education (Shiksha Mantralaya)]

No.NIT/HMR/Admn/Act & Statutes/2025/ **2351-53**
To

Dated: **28/03/2025**

28/03/2025

Ms. Veena Dunga,
Deputy Secretary to the Govt. of India,
Dept. of Higher Education, Ministry of Education,
C Wing, Shastri Bhawan, New Delhi - 110115
Email: veena.dunga@nic.in & nit.edu@nic.in

Subject: Intimation regarding publication of Statutes (Amendment) of the NIT Hamirpur Statute-2025 in the Gazette of India.

महोदयया जी,

आपके पत्र एफ.सं.35-2/2024-टीएस.III दिनांक 09/01/2025 के संदर्भ में, सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर कानून, 2017 में संशोधन अर्थात कानून 14 के उप-कानून (iv) के बाद उप-कानूनों को शामिल करने सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर (संशोधन) परिनियम-2025 भारत के असाधारण राजपत्र में हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में जीएसआर संख्या 228 दिनांक 21/03/2025 के तहत प्रकाशित की गई है। कृपया आपके तत्काल संदर्भ के लिए इसकी एक प्रति संलग्न है।

Kindly refer to your letter F.No.35 2/2024-TS.III dated 09/01/2025 on the above cited subject. In this context, it is intimated that the notification regarding Amendment in the National Institutes of Technology, Hamirpur Statutes, 2017 i.e. insertion of sub-statutes after sub-statute (iv) of Statute 14 has been published in the Gazette of India Extraordinary (English & Hindi versions) vide GSR No.228 dated 21/03/2025. A copy of the said Statutes (Amendment) Statute-2025 of National Institute of Technology Hamirpur is enclosed herewith for your ready reference please.

धन्यवाद सहित / Thanking you.

सादर,

{डा. अर्चना संतोष नानोटी}

कुलसचिव

Copy to:

1. Director, NIT Hamirpur for this kind information, please.
2. Faculty Incharge (Computer Centre), NIT Hamirpur to upload the NIT Hamirpur (Amendment) Statute, 2025, on the Institute Website.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261851
CG-DL-E-22032025-261851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/ फाल्गुन 30, 1946

No. 228]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025

एफ.सं.रा.प्रौ/अधिनियम एवं नियम/प्रशासन/सं.2025(अ) — राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर का बोर्ड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर परिनियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर (संशोधन) परिनियम, 2025 है।

(2) ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर परिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल परिनियम कहा गया है), में परिनियम 14 के, उप-परिनियम (iv) के पश्चात, निम्नलिखित उप-परिनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(v) शासी बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में या अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का अध्यक्ष, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष को अधिनियम की धारा 16 के तहत सौंपे गए कार्यों का निर्वहन कर सकता है और

कार्यकाल की समाप्ति की स्थिति में, कुलाध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल को छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, बढ़ा सकता है।”

3. मूल परिनियम में, परिनियम 17 में, उप-परिनियम (15) का लोप किया जाएगा।

प्रो. एच. एम. सूर्यवंशी, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./934/2024-25]

टिप्पण: मूल परिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 23 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.280 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 15 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.837 (अ) और तारीख 21 जुलाई, 2017 के का.आ. 947 (अ) और तारीख 21 जुलाई, 2023 की फा.सं. रा.प्रौ.सं/प्रशासन/अधिनियम एवं नियम/ 2023(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HAMIRPUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2025

F. No. NIT/HMR/Admn/Act & Statutes/2025(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), with the approval of the Visitor of the National Institute of Technology, Hamirpur, the Board of the National Institute of Technology, Hamirpur, hereby makes the following Statutes to amend the National Institute of Technology, Hamirpur Statutes, 2017, namely:—

1. (1) These Statutes may be called the Statutes of the National Institute of Technology, Hamirpur (Amendment) Statute, 2025.
- (2) They shall apply to the National Institute of Technology, Hamirpur.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Institute of Technology, Hamirpur Statutes, 2017 (hereinafter referred to as the principal Statutes), in Statute 14, after sub-statute (iv), the following sub-statute shall be inserted, namely—

“(v) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson of Board of Governors by reason of expiry of his or her tenure, death, resignation or otherwise or in the event of the Chairperson being unable to discharge his or her functions owing to absence, illness or any other cause, the Chairperson of an Institute of National Importance, may discharge the functions assigned to the Chairperson under Section 16 of the Act, for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier, with the approval of the Visitor and in case of expiry of tenure, the Visitor may extend the term of the incumbent Chairperson for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier.”

3. In the principal Statutes, in Statute 17, sub-statute (15) shall be omitted.

Prof. H. M. SURYAWANSHI, Director

[ADVT.-III/4/Exty./934/2024-25]

Note: The principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R.280 (E) dated the 23rd April, 2009 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R.837 (E) dated the 15th October, 2015, S.O.947(E) dated the 21st July, 2017 and F.No. NIT/HMR/Admn/Act & Statutes/2023 (E) dated 21st July, 2023.